VISHVASH YOJANA

विश्वास योजना –

1.	पात्रता	1. आवेदक नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार नि:शक्त होना चाहिये। 2. राजस्थान का मूल निवासी हो। 3. उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष होनी चाहिये। 4. समस्त स्रोतों से आवेदक परिवार की आय रू. 50000 वार्षिक से अधिक न हो। 5. आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार / व्यवसाय योजना के अन्तर्गत अनुदान आदि का लाभ नहीं लिया गया हो।
2.	आवेदन कहां किया जायें	जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पाली को निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन किया जा सकता है।
3.	देय लाभ	स्वरोजगार गतिविधि प्रारंभ करने के लिए 1 लाख रूपये का ऋण बैंक/निगम द्वारा दिये जाने पर स्वीकृत ऋण का 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
4.	आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज	मूल निवास प्रमाण पत्र, नि:शक्तता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि सम्बन्धी प्रमाण, कार्यस्थल का स्वामित्व, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि।